नव भारत
राष्ट्रहित का प्रहरी 1934 से

2 त्रासदी में बिछड़ों की तलाश बड़ी चुनौती

4 स्त्री के मनोभावों और संवेदनाओं की मुखर अभिव्यक्ति

9 आधुनिक जीवन में भारतीय परंपरा की नई भूमिका

11 सरकारी अधिकारियों के लिए सोशल मीडिया आचार संहिता

झीरम नरसंहार में 13 साल बाद न्याय, सभी 10 दोषी

- एनआईए की विशेष अदालत ने सुनाया फैसला
- केस मजबूत करने 101 गवाहों के हुए थे बयान

नवभारत न्यूज़ नेटवर्क
रायपुर, 5 सितम्बर. छत्तीसगढ़ के इतिहास के सबसे बड़े और खौफनाक नक्सली हमलों में से एक 2013 के झीरम घाटी हत्याकांड मामले में एनआईए की अदालत ने अपना अहम फैसला सुना दिया है. अदालत ने मामले में सभी आरोपियों को दोषी करार दिया है.

इस मामले की सुनवाई एनआईए की अदालत के न्यायाधीश अजय सिंह राजपूत की बेंच में चल रही थी. विशेष अदालत में 12 अगस्त को सुनवाई पूरी हो गई थी. न्यायाधीश ने फैसला सुरक्षित रख लिया था. जिसे शुक्रवार को सुनाया गया. एनआईए ने इस मामले की विस्तृत जांच के बाद वर्ष 2015 में अदालत के समक्ष एक हजार पन्नों की चार्जशीट पेश की थी.

इस चार्जशीट में शुरुआत में 11 लोगों को आरोपी बनाया गया था. एक आरोपी की मौत हो चुकी है, जबकि 10 आरोपी जगदलपुर जेल में बंद हैं. मुकदमे के दौरान अभियोजन पक्ष ने अपना केस मजबूत करने के लिए कुल 101 गवाहों के बयान दर्ज कराए. इसके विपरीत, बचाव पक्ष की ओर से खुद को बेगुनाह साबित करने के लिए अदालत में एक भी गवाह पेश नहीं किया जा सका.

महेन्द्र कर्मा

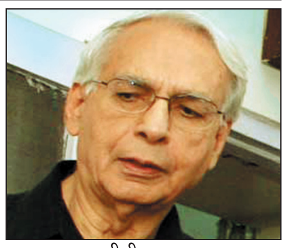
वीसी शुक्ला

कर्मा, विद्याचरण समेत 32 की गई थी जान

25 मई 2013 को छत्तीसगढ़ के बस्तर संभाग में कांग्रेस पार्टी द्वारा परिवर्तन यात्रा निकाली जा रही थी. जब नेताओं का काफिला झीरम घाटी से गुजर रहा था, तब घात लगाए बैठे सैकड़ों माओवादियों ने उन पर चारों तरफ से अंधाधुंध गोलियां बरसा दीं. इस वीभत्स हमले में कुल 32 लोगों की जान गई थी और 38 लोग गंभीर रूप से घायल हुए थे. हालांकि, एनआईए ने अपनी चार्जशीट में आधिकारिक तौर पर 27 मृतकों की ही जानकारी दी है. इस भीषण नक्सली हमले का मुख्य निशाना कांग्रेस के शीर्ष नेता थे. इस हमले में तत्कालीन कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष नंदकुमार पटेल, बस्तर टाइगर के नाम से मशहूर पूर्व मंत्री महेंद्र कर्मा और पूर्व केंद्रीय मंत्री विद्याचरण शुक्ल सहित कई प्रमुख नेताओं और सुरक्षाकर्मियों की जान चली गई थी.

बच्चों को नशे और ज्यादा स्क्रीन टाइम से बचाएं

- मोदी ने राष्ट्रीय पुरस्कार विजेताओं से की बातचीत
- 82 शिक्षकों को राष्ट्रपति मुर्मु ने किया सम्मानित

नवभारत न्यूज नेटवर्क
नई दिल्ली, 5 सितंबर. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आवास पर शुक्रवार को इस वर्ष राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार प्राप्त करने वाले 82 शिक्षक व शिक्षाविदों से मुलाकात कर उन्हें भविष्य की चिंताओं से अवगत कराया.

इस दौरान प्रधानमंत्री ने शिक्षकों से कहा कि उनकी जिम्मेदारी केवल बच्चों के शैक्षणिक प्रदर्शन तक सीमित नहीं है. प्रधानमंत्री ने बच्चों में बढ़ती नशीली दवाओं की समस्या पर चिंता जताते हुए शिक्षकों से सतर्क रहने की अपील की. उन्होंने कहा कि यदि किसी बच्चे के व्यवहार में बदलाव दिखाई दे तो उसके कारणों को समझने की कोशिश की जानी चाहिए. प्रधानमंत्री ने बच्चों के अत्यधिक मोबाइल इस्तेमाल को भी गंभीर चिंता बताया. उन्होंने अभिभावकों के साथ इस पर बातचीत करने को कहा. बच्चों के देर रात तक मोबाइल इस्तेमाल पर नजर रखने की जरूरत बताई.

निष्ठावान शिक्षक राष्ट्र निर्माता : राष्ट्रपति मुर्मु

शिक्षक दिवस के मौके पर शनिवार को नई दिल्ली के विज्ञान भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 48 शिक्षकों को राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया. राष्ट्रपति ने कहा कि निष्ठावान शिक्षक अग्रणी पंक्ति के राष्ट्र निर्माता होते हैं. जो समाज शिक्षकों का सम्मान करता है, वह वास्तव में प्रगतिशील होता है.

शुद्धिकरण विवाद में उत्तराखंड भाजपा प्रदेश अध्यक्ष पर केस

नवभारत न्यूज नेटवर्क
बेंगलुरु, 5 सितंबर. कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से जुड़े शुद्धिकरण अनुष्ठान' के मामले में कर्नाटक पुलिस ने उत्तराखंड भाजपा अध्यक्ष महेंद्र भट्ट और पार्टी के खिलाफ जीरो एफआईआर दर्ज की है.

अब मामले को आगे की जांच के लिए उत्तराखंड पुलिस को भेजने की तैयारी की जा रही है. यह कार्रवाई आदिवासी कांग्रेस के अनुसूचित जनजाति विभाग के पूर्व उपाध्यक्ष टी.आर. रामप्पा की शिकायत के आधार पर की गई. शिकायत बेंगलुरु के विधान सौधा थाने में दर्ज कराई गई थी. शिकायत में आरोप लगाया गया है

कि 8 अगस्त को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने उत्तराखंड के नैनीताल जिले के रामलीला मैदान में जनसभा को संबोधित किया था. आरोप है कि उनके कार्यक्रम के बाद मैदान में कथित तौर पर 'शुद्धिकरण अनुष्ठान' किया गया. शिकायतकर्ता का आरोप है कि इस अनुष्ठान के जरिए जातिगत भेदभाव वाली धारणा को बढ़ावा दिया गया और यह संदेश देने की कोशिश की गई कि खड़गे के वहां आने से मैदान 'अपवित्र' हो गया था.

छात्रों पर लाठीचार्ज, फायरिंग गलत

नवभारत न्यूज नेटवर्क
नई दिल्ली, 05 सितंबर. सुप्रीम कोर्ट के न्यायमूर्ति उज्ज्वल भुइयां ने नीट पेपर लीक मुद्दे को लेकर जंतर-मंतर पर प्रदर्शन कर रहे छात्रों और प्रदर्शनकारियों पर पुलिस बल प्रयोग को गंभीर और परेशान करने वाला बताया है.

उन्होंने कहा कि पुलिस से जिस निष्पक्षता की उम्मीद की जाती है, वह कई मौकों पर दिखाई नहीं देती. लोकतंत्र में पुलिस राज्य की शक्ति का प्रतीक होने के साथ-साथ आम नागरिक के अधिकारों की रक्षा करने वाली संस्था भी है, इसलिए उसका भरोसेमंद और निष्पक्ष रहना बेहद जरूरी है. न्यायमूर्ति भुइयां पूर्व सुरक्षा सचिव यशोवर्धन आजाद की किताब 'पुलिसिंग द रिपब्लिक' के विमोचन कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे. उन्होंने कहा कि पुलिस बल की विश्वसनीयता तभी कायम रह सकती है, जब वह संविधान का सख्ती से पालन करे, पेशेवर तरीके से काम करे और निष्पक्षता, ईमानदारी तथा कानून के शासन के सिद्धांतों को प्राथमिकता दे.

न्यायमूर्ति भुइयां ने हिरासत में यातना और मौत के मामलों पर भी चिंता जताई. उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के चर्चित डीके बसु बनाम पश्चिम बंगाल सरकार मामले के 1997 के फैसले का उल्लेख करते हुए कहा कि गिरफ्तारी के बाद भी किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकार समाप्त नहीं हो जाते.

जस्टिस भुइयां ने जंतर-मंतर मामले में जताई आपत्ति

जस्टिस भुइयां ने कहा कि पुलिस बिना अत्यधिक बल प्रयोग किए और मानवाधिकारों का उल्लंघन किए बिना भी प्रभावी ढंग से कानून लागू कर सकती है. उन्होंने कहा कि सड़क पर सीटी और लाठी लिए पुलिसकर्मी राज्य की शक्ति और अधिकार का सबसे प्रत्यक्ष चेहरा होता है. जब किसी नागरिक को लगता है कि उसके साथ अन्याय हुआ है, तो वह पुलिस से मदद की उम्मीद करता है.

एक नजर में

5 कैदियों ने वार्डन पर किया जानलेवा हमला

बेंगलुरु. शहर की परप्पना अग्रहारा केंद्रीय जेल में पांच विचाराधीन कैदियों ने 32 वर्षीय जेल वार्डन मंजूनाथ हवेली पर कथित तौर पर जानलेवा हमला कर दिया. आरोप है कि कैदियों ने वार्डन का गला घोंटने की भी कोशिश की. घटना के बाद जेल प्रशासन में हड़कंप मच गया.

बोलीविया के सैन्य अड्डे में धमाके से 10 की मौत

ला पाज. दक्षिण अमेरिकी देश बोलीविया के पश्चिमी शहर वियाचा में शुक्रवार को एक सैन्य अड्डे पर विस्फोट में 10 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई, जबकि कम से कम 58 लोग घायल बताए जा रहे हैं. अधिकारियों के मुताबिक मृतकों की संख्या 10 से 15 के बीच हो सकती है.

खड़ी लॉरी से टकराई कार, 8 लोगों की मौत

त्रिशूर. केरल के त्रिशूर जिले में हुए भीषण सड़क हादसे में आठ लोगों की मौत हो गई. दुर्घटना कैपामंगलम इलाके में राष्ट्रीय राजमार्ग पर पनाम्बिकुन्नु सेंटर के पास हुई, जहां तेज रफ्तार कार सड़क किनारे खड़ी माल ढोने वाली लॉरी के पिछले हिस्से से जा टकराई.

जनपद सीईओ शोभित त्रिपाठी अरेस्ट

अशोभित कारनामा : विवाह सहायता योजना में 30.18 करोड़ का फर्जीवाड़ा का

नवभारत न्यूज
भोपाल, 5 सितंबर. सिरोंज जनपद पंचायत के तत्कालीन सीईओ शोभित त्रिपाठी को ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया है.

गिरफ्तारी के बाद पीएमएलए अदालत में पेश किया गया, जहां अदालत ने 9 सितंबर तक ईडी को सौंप दिया. मामला विवाह सहायता योजना में फर्जीवाड़े और

सरकारी राशि के दुरुपयोग से जुड़ा है. ईडी की जांच के अनुसार, योजना के तहत पात्र बेटियों के विवाह के लिए 51 हजार रुपए दिए जाते थे. त्रिपाठी ने इस योजना में करीब 30.18 करोड़ रुपए का हेरफेर किया है.

लॉकडाउन में बांटी राशि

ईडी की जांच में कुछ ऐसे लोगों को भी योजना का लाभ दिए जाने की बात सामने आई है, जो इसके लिए पात्र नहीं थे. जांच एजेंसी के अनुसार कोरोना महामारी के दौरान लगे लॉकडाउन में भी कई मामलों में विवाह सहायता राशि वितरित की गई, जबकि उस अवधि में सार्वजनिक विवाह समारोहों पर प्रतिबंध लागू था.

लश्कर कमांडर यासिर ढेर

नवभारत न्यूज़ नेटवर्क
श्रीनगर, 5 सितम्बर. जम्मू-कश्मीर के बडगाम जिले के ऊपरी इलाकों में भारतीय सेना को बड़ी सफलता मिली है. सुरक्षाबलों ने लश्कर-ए-तैयबा के पाकिस्तानी कमांडर को मार गिराया.

यूसमर्ग इलाके में आतंकी और सुरक्षाबलों के बीच मुठभेड़ चली. पाकिस्तानी कमांडर की पहचान यासिर के रूप में हुई है. सुरक्षाबलों को इलाके में आतंकियों की मौजूदगी का इनपुट मिला था. इसके बाद, उसे ढूंढने के लिए सर्च ऑपरेशन चलाया गया. कुछ देर बाद ही मुठभेड़ शुरू हो गई और यासिर मारा गया.

कश्मीर में सेना का बड़ा एक्शन

> यह एनकाउंटर स्पेशल फोर्सेज और 53वें राष्ट्रीय राइफल्स के ज्वाइंट ऑपरेशन के तहत हुआ. यासिर लश्कर-ए-तैयबा के सूलेमान मूसा ग्रुप का हिस्सा था, लेकिन सालभर पहले अलग हो गया था. उसके बाद से ही वह अलग रहकर ही आतंकी गतिविधियों को अंजाम देता था. सुरक्षा एजेंसियां लंबे समय से आतंकी पर नजर रख रही थीं.

अब 27 नवंबर को बाल विवाह उन्मूलन दिवस

नई दिल्ली, 05 सितंबर. बाल विवाह के खिलाफ भारत की मुहिम को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बड़ी सफलता मिली है. संयुक्त राष्ट्र ने 27 नवंबर को 'बाल, कम उम्र और जबरन विवाह उन्मूलन के लिए अंतरराष्ट्रीय दिवस' घोषित किया है. यह फैसला बाल विवाह रोकने के लिए भारत में चल रहे अभियान और नागरिक संगठनों की कोशिशों को वैश्विक समर्थन के तौर पर देखा जा रहा है. 4 सितंबर को सिएरा लियोन ने इस प्रस्ताव को संयुक्त राष्ट्र में पेश किया. संयुक्त राष्ट्र ने दुनिया की सरकारों से 2030 तक बाल विवाह खत्म करने की अपील की.

घोषणा ट्रंप प्रशासन के नए नियम से विदेशी छात्रों की बढ़ी परेशानी

विदेशी कर्मचारियों के बच्चों को नागरिकता नहीं

वॉशिंगटन, 05 सितंबर (एजेंसी). अमेरिका में जन्म से मिलने वाली नागरिकता को लेकर ट्रंप प्रशासन ने एक और बड़ा कदम उठाया है. अमेरिकी गृह सुरक्षा विभाग ने ऐसा नियम जारी किया है, जिसके तहत अमेरिका में तैनात कुछ विदेशी सरकारी कर्मचारियों और राजनयिकों के बच्चों को जन्म लेते ही स्वत: अमेरिकी नागरिकता नहीं मिलेगी.

अमेरिकी नियमों के तहत पहले मुख्य रूप से विदेशी

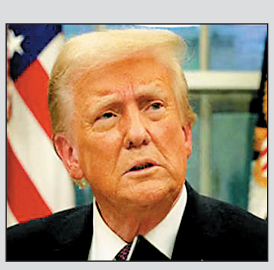

दूतावासों में तैनात उच्च पदस्थ राजनयिक अधिकारियों के बच्चों को जन्म से अमेरिकी नागरिकता के दायरे से बाहर रखा जाता था. यह नियम निजी कॉन्ट्रैक्टरों पर लागू नहीं होगा. नियम का मतलब यह नहीं है कि प्रभावित बच्चों को अमेरिका से बाहर भेज दिया जाएगा या उन्हें कोई कानूनी दर्जा नहीं मिलेगा. पात्र बच्चों के लिए लीगल परमानेंट रेजिडेंसी यानी ग्रीन कार्ड का रास्ता उपलब्ध रहेगा. इसके लिए संबंधित व्यक्ति को फ्रार्म के जरिए आवेदन करना होगा. आवेदन स्वीकृत होने पर बच्चे की स्थायी निवास की तारीख उसके जन्म की तारीख से मानी जा सकती है. प्रक्रिया में अन्य औपचारिकताएं भी पूरी करनी पड़ सकती हैं. नया प्रावधान प्रॉसेप्सटिव है.

अदालत ने फिलहाल लगा रखी है रोक

ट्रंप प्रशासन की इस नई नीति को तत्काल कानूनी चुनौती मिल गई है. मैरीलैंड की एक संघीय अदालत ने 2 सितंबर को अंतरिम रोक लगाई है. मामला अब अमेरिकी अदालतों में कानूनी लड़ाई का विषय बन गया है. ऐसे में नियम की अंतिम स्थिति अदालत के फैसलों और आगे की न्यायिक प्रक्रिया पर निर्भर करेगी.